जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :– SOP JDA ONLINE SERVICES-16834-6380540 दिनांक :– यथा हस्ताक्षरित

संस्थाओं को सार्वजनिक उपयोगार्थ चाहे जाने वाली भूमि का आवंटन के संबंध में

मानक कार्य प्रणाली

नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से जविप्रा के ऑनलाइन पोर्टल पर विभिन्न संस्थाओं को सार्वजनिक उपयोगार्थ चाहे जाने वाली भूमि का आवंटन के संबंध में जारी स्थायी आदेश संख्या 1/2014 क्रमांक प.14 (8)जविप्रा/संस्था/2012 दिनांक 16.04.2013 एवं प्राधिकरण द्वारा जन साधारण के कार्यों के सुगम व शीघ्र निष्पादन हेतु विभिन्न सेवाओं को Faceless & Paperless किये जाने के लिये आयुक्त जविप्रा के आदेश दिनांक 30.12.2024 के अनुसार सचिव महोदय जविप्रा की अध्यक्षता में गठित स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.05.2025 में किये गये विचार विमर्श के क्रम में भूमि आवंटन के आवेदन लिये जाने से संबंधित कार्य को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नानुसार हैः–

सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों/संस्थाओं को आवंटन एवं लैण्ड फॉर लैण्ड के प्रकरणों को छोड़कर संस्थागत/ व्यक्तिगत भूमि आवंटन के प्रकरणों में नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन ऑनलाईन स्वीकार किया जावेगा।

प्रकोष्ठ	कार्य	संबंधित कार्मिक/अधिकारी	नियत दिवस
नागरिक सेवा केन्द्र पर आवेदन प्राप्त	• भूमि आवंटन हेतु वर्तमान में प्रभावी नीति **"राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिये भूमि आवंटन नीति–2015"** के तहत प्रपत्र–अ, ब, स, द की पूर्ति तथा चेकलिस्ट अनुसार संलग्न दस्तावेज एवं वांछित राशि रूपये 5200/– की पुष्टि के साथ प्राप्त आवेदन की जाँच। • आवेदन में कमी की दशा में आवेदक को लौटाया जावे। • आवेदन पूर्ण होने की स्थिति में उपायुक्त (प्रशासन) को प्रेषित।	उपायुक्त नागरिक सेवा केन्द्र, सलाहकार	1 दिवस

Signature valid
Digitally signed by Nishant Jain
Designation : Secretary
Date: 2025.06.28 21:44:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16199490

एलपीसी प्रकोष्ठ में प्रक्रिया	• नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से पत्रावली प्राप्त होने के उपरान्त उपायुक्त द्वारा योजना सहायक को भेजी जायेगी। • योजना सहायक एवं तहसीलदार द्वारा आवंटन हेतु चाही गई भूमि का क्षेत्रफल का औचित्य निर्धारण, संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट व वित्तीय सामर्थ्य का परीक्षण किया जायेगा। • आवेदित संस्था के क्रियाकलापों व प्रस्तावित कार्य की उपयोगिता/आवश्यकता के आधार पर परीक्षण किया जायेगा। • चिकित्सा संस्था के प्रकरणों में संबंधित विभाग से टिप्पणी ली जावेगी। • आवेदक के आर्थिक स्त्रोतों की जाँच एवं इस संबंध में अद्यतन साक्ष्य (बैलेंस शीट/इनकम टैक्स रिटर्न/ऑडिट रिपोर्ट) लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। • पूर्व में संस्था को आवंटन/निर्धारित समयावधि में निर्माण संबंधी शपथ–पत्र सुनिश्चित किया जावेगा। • योजना सहायक द्वारा उपायुक्त की स्वीकृति उपरान्त आवेदन में उक्त शर्तों में कमी की स्थिति में आवेदक को कमीपूर्ति हेतु लिखा जावेगा। • आवेदन पूर्ण होने की स्थिति में विभाग की वैबसाईट पर आपत्ति आमंत्रण हेतु 15 दिवस के लिये विज्ञप्ति जारी की जावेगी, जिस बाबत उपायुक्त के माध्यम से अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) को भेजे जाते हुए सिस्टम एनालिस्ट को पत्रावली भेजी जावेगी।	अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी), उपायुक्त (एलपीसी), तहसीलदार, सहायक	15+7 दिवस

Signature valid

Digitally signed by Nishant Jain
Designation: Secretary
Date: 2025.06.28 21:44:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16199490

	• 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पत्रावली आवेदन के आधार पर उपायुक्त के माध्यम से संबंधित जोन/जोन्स को भूमि चिन्हिकरण हेतु भेजी जावेगी। • 15 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में तद्नुसार आवेदक को सूचित किया जावेगा।		
जोन स्तर पर परीक्षण	• एलपीसी प्रकोष्ठ से पत्रावली प्राप्त होने के उपरान्त जोन उपायुक्त द्वारा परीक्षण हेतु पत्रावली सहायक/उप नगर नियोजक एवं तहसीलदार को भूमि चिन्हिकरण/ उपलब्धता की रिपोर्ट हेतु भेजी जायेगी। • यदि जोन क्षेत्राधिकार में आवंटन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है तो जोन द्वारा भूमि अनुपलब्धता की सूचना एलपीसी प्रकोष्ठ को भिजवाई जायेगी। • भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में तकनीकी एवं राजस्व शाखा द्वारा भूमि का चिन्हिकरण कर भू–उपयोग, पहुँच मार्ग, वाद–विवाद, पूर्व में किये गये आवंटन आदि की सुनिश्चितता करते हुए 35 बिन्दु का एजेण्डा नोट एलपीसी प्रकोष्ठ को उपायुक्त के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।	उपायुक्त – जोन, तहसीलदार, सहायक/उपनगर नियोजक, लेखाकार, विधि सहायक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक	12 दिवस
एलपीसी प्रकोष्ठ	• एलपीसी शाखा द्वारा प्राप्त एजेण्डा का परीक्षण किया जायेगा। • यदि किसी आवेदन पर 1 से अधिक जोनों द्वारा भूमि चिन्हिकरण किया जाकर भूमि की उपलब्धता बताई जाती है तो प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तावित भूमि की उपयोगिता, आवेदक से सहमति आदि के क्रम में परीक्षण किया जायेगा। • सभी प्रकरणों में एजेण्डा परीक्षणोपरान्त अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) के माध्यम से प्री–एलपीसी की बैठक हेतु रखा जायेगा।	अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी), उपायुक्त (एलपीसी), तहसीलदार, सहायक	5 दिवस

Signature valid
Digitally signed by Nishant Jain
Designation : Secretary
Date: 2025.06.28 2[illegible]:44:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16199490

प्री–एलपीसी बैठक	प्री–एलपीसी की बैठक में निर्णयानुसार– • संकलित एजेण्डों को सक्षम समिति (एलपीसी) के समक्ष विचार–विमर्श हेतु रखे जाना। • लिये गये निर्णय अनुसार ऐजेण्डा में संशोधन हेतु एलपीसी प्रकोष्ठ/जोन को वापस भेजा जाना।		10 दिवस
एलपीसी बैठक	• प्री–एलपीसी की बैठक में चयनित किये गये एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार–विमर्श कर आवंटन किये जाने/नहीं किये जाने का निर्णय लिया जायेगा। आवंटन किये जाने, अनुशंषा मय प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे जाने अथवा अन्य निर्णय समिति के अनुसार पालना हेतु उपायुक्त (एलपीसी) के माध्यम से समिति के बैठक निर्णय की प्रति के साथ संबंधित जोन को भिजवाया जायेगा।		10 दिवस
निर्णयोपरान्त जोन की कार्यवाही	• समिति के निर्णय अनुसार आवंटन/मांगपत्र जारी करने, राज्य सरकार को अभिशंषा के साथ स्वीकृति हेतु भिजवाने अथवा अन्य निर्णयों की पालना सुनिश्चित की जाते हुए एलपीसी शाखा को अनुपालना रिपोर्ट प्रेषित की जावेगी। • रियायती दर पर भू–आवंटन के मामलों में भूमि का सही उपयोग एवं शर्तों की पालना हेतु भू–आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या–7 के सब–पैरा 7.1 से 7.9 एवं 8.3 से 8.14 के प्रावधानुसार शर्तों की पालना किया जाना सुनिश्चित करना।	उपायुक्त – जोन, तहसीलदार, सहायक/उपनगर नियोजक, लेखाकार, विधि सहायक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक	24 दिवस

Signature valid
Digitally signed by Nishant Jain
Designation: Secretary
Date: 2025.06.28 21:44:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16199490

Institutional Land Allotment – PART1

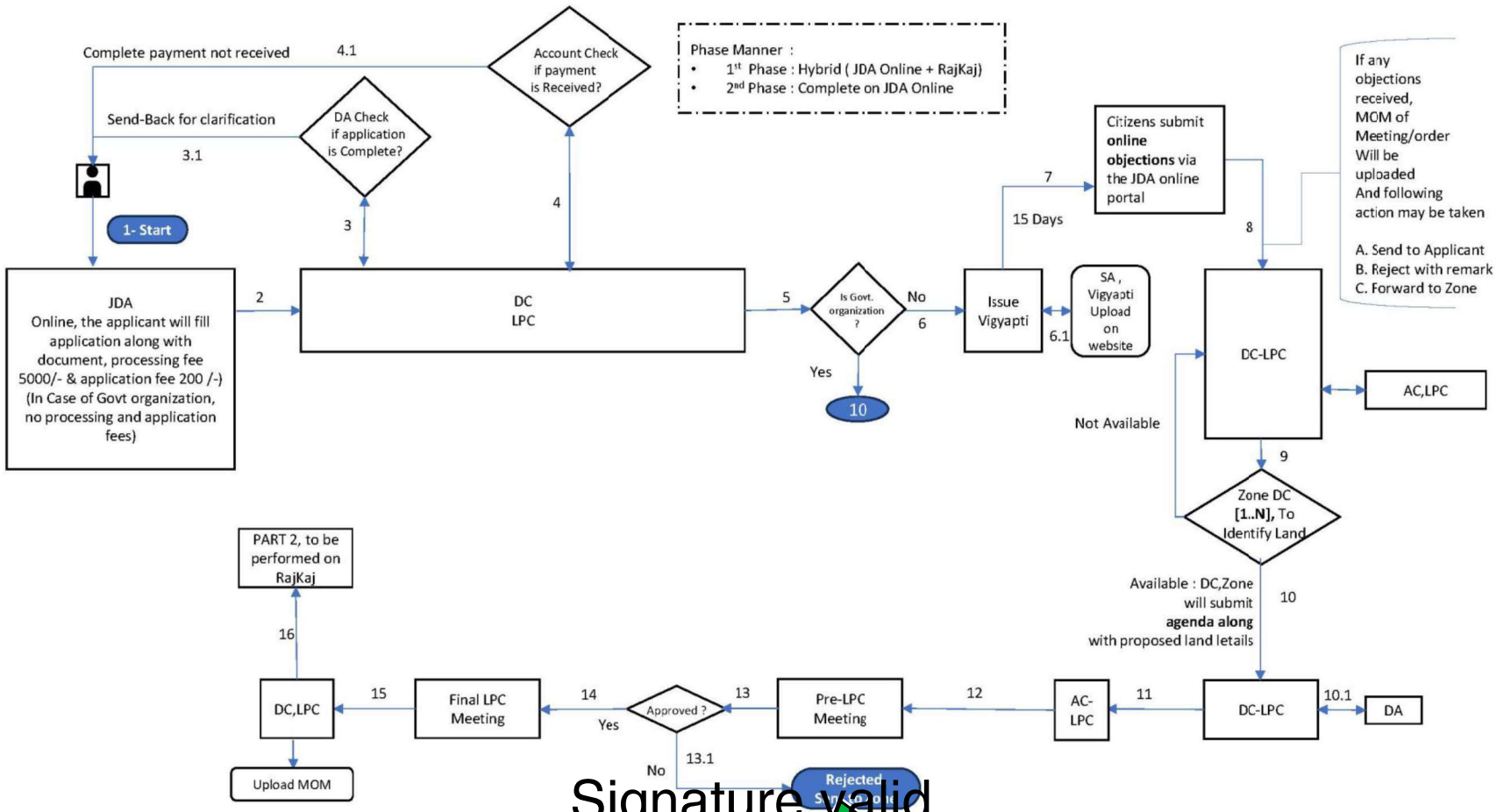

Signature valid

Digitally signed by Nishant Jain
Designation : Secretary
Date: 2025.06.28 21:44:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16199490

Institutional Land Allotment – PART2

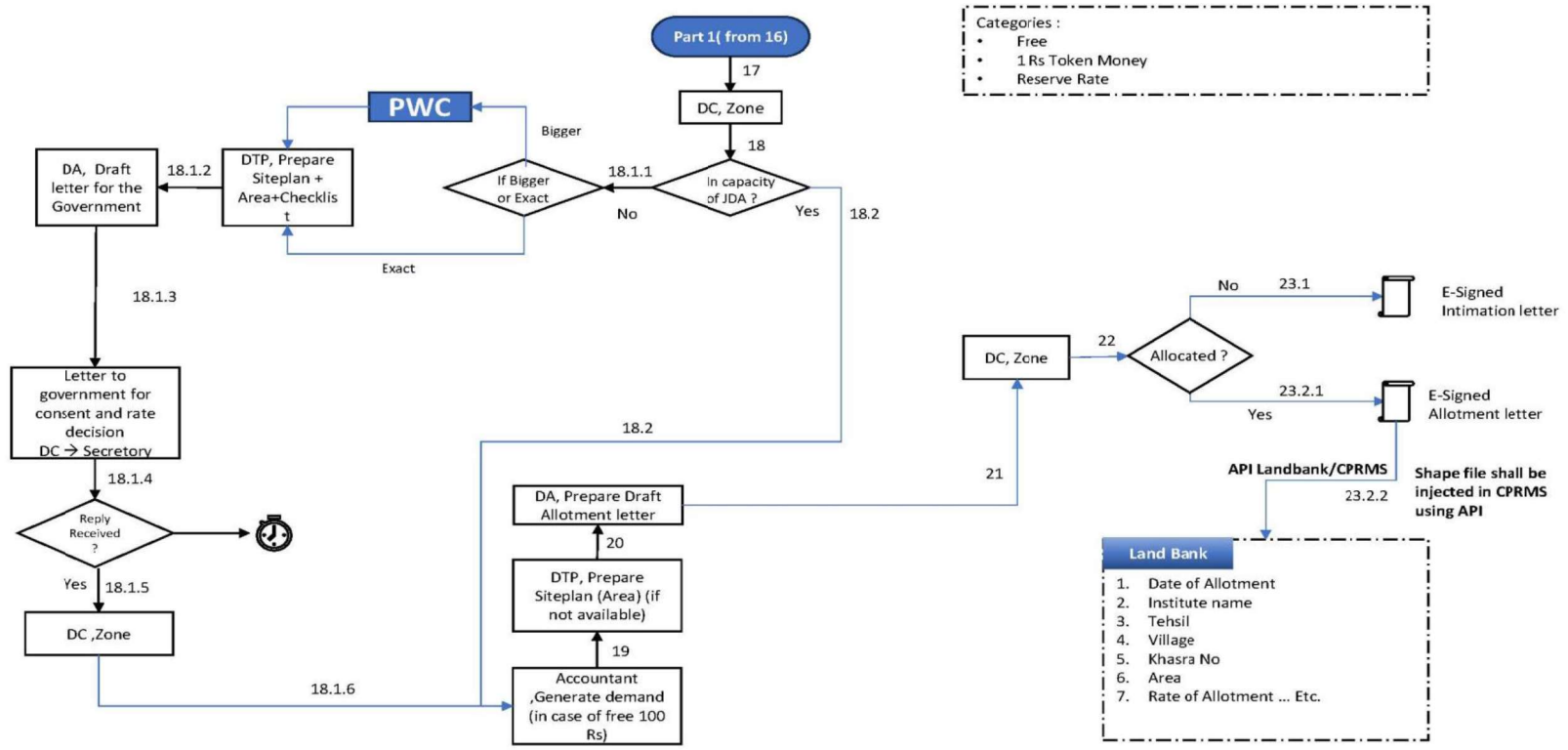

विशेष नोट : उक्त मानक प्रक्रिया, प्राप्त प्रकरणों में कार्य की एकरूपता एवं निष्पादन में सुगमता लाने के लिए बनाई गई है। असंगत पाये जाने पर तत्समय प्रचलित अधिनियम/विनियम/आदेश/परिपत्र ही विधिमान्य होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Nishant Jain
Designation: Secretary
Date: 2025.06.28 21:44:11 IST
Reason: Approved

(निशांत जैन)
सचिव

RajKaj Ref No.: 16199490

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :– SOP JDA ONLINE SERVICES-16834-6380540 दिनांक :– यथा हस्ताक्षरित

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. व. निजी सचिव, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (विधि/वित्त/अभियांत्रिकी/नगर आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/एलपीसी/भूमि/पीआरएन), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एमपी/एलपी/बीपी), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/आरएमसी), जविप्रा, जयपुर।
8. समस्त उपायुक्तगण, जविप्रा, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
10. उप निदेशक(सहकारिता एवं जनसम्पर्क अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. प्रिया बलराम शर्मा)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

Signature valid
Digitally signed by Nishant Jain
Designation: Secretary
Date: 2025.06.28 21:44:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16199490